

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3(ग)/ए.सी.पी./आक्षेप/अलेसे-II/

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में पायी गई कमियों का उल्लेख संबंधित के नाम के सामने अंकित आक्षेप के कॉलम में किया गया है:-

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट नं.	आक्षेप
1.	कैलाश चन्द चौहान	286/88	आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नहीं है।
2.	रविन्द्र सिंह	डीजीएस/94	वर्ष 2005-06 से 2007-08 तथा 2011-12 की एपीएआर अप्राप्त है।
3.	गिरिराज प्रसाद	162/88	वर्ष 2008-09, 2009-10, 2011-12 की एपीएआर अप्राप्त है।
4.	श्रीभगवान यादव	522/94	वर्ष 2004-05 से 2009-10, 2014-15 से 2016-17 तक की एपीएआर अप्राप्त है।
5.	विष्णु लाल शर्मा	270/88	वर्ष 2008-09, 2011-12 से 2016-17 की एपीएआर अप्राप्त है।
6.	विनोद कुमार शर्मा	185/88	वर्ष 2012-13, 2014-15 से 2016-17 की एपीएआर अप्राप्त है।
7.	वृजेश्वर व्यास	433/88	वर्ष 2008-09, 2012-13, 2016-17 की एपीएआर अप्राप्त है।
8.	हरीकृष्ण	361/88	वर्ष 2008-09, 2010-11 से 2015-16 की एपीएआर अप्राप्त है।
9.	राजेन्द्र प्रसाद सेठिया	413/88	वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक की एपीएआर अप्राप्त है।
10.	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	26/88	वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की एपीएआर अप्राप्त है।

उपर्युक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के आवेदन पत्रों में पाई गई कमियों की पूर्ति कर इस कार्यालय को सूचित करावें तथा जिन कार्मिकों को एसीपी दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् देय है, वे पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में वेतन स्थिरीकरण के पश्चात् प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा को शीघ्र प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे ताकि एसीपी स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

दिनांक:- 17.11.18

क्रमांक:- एफ. 3(ग)/ए.सी.पी./आक्षेप/अलेसे-II/ 2284

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष
2. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II
- ✓ 3. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट) हेतु।
4. सहायक निदेशक (एपीएआर) अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिकों का आया अवधि की एपीएआर प्राप्त होने पर एपीएआर रिपोर्ट इस अनुभाग को शीघ्र प्रेषित करावें।
5. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)